रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 13, 2006/ज्येष्ठ 23, 1928

No. 607] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 2006/JYAISTHA 23, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2006

का.आ. 889 (अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के 281.000 कि.मी. से 307.600 कि.मी. के बीच चार लेन के रायपुर-दुर्ग खंड के प्रयोग के लिए यांत्रिक यानों पर संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उदगृहीत, संगृहीत किया जाएगा और अपने पास रखा जाएगा तथा मैसर्स डीएससी-वीआईसीओएन वेंचर्स प्रा. लि., नई दिल्ली, जिसका रजिस्ट्री कार्यालय सी-66, साउथ एक्सटेंशन, भाग-II, नई दिल्ली-110049 पर है, के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के चार लेन के रायपुर-दुर्ग खंड के निर्माण, प्रचालन और अंतरण हेतु 8 मई, 2003 को किए गए रियायत करार और इसके द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए एतद्‌द्वारा उक्त मैसर्स डीएससी-वीआईसीओएन वेंचर्स प्रा. लि., नई दिल्ली अथवा उसके अधिकृत विधिक प्र[illegible] को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से और 2 मार्च, 2015 तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क के संग्रहण और उसे अपने पास रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के 281.000 कि.मी. से 307.600 कि.मी. के बीच चार लेन के रायपुर-दुर्ग खंड के उपयोक्ताओं से दोनों पथकर प्लाजा में से किसी एक पर वसूल की जाने वाली प्रति यात्रा दरें

(धनराशि रुपए में)

अवधि		प्रत्येक किस्म के यान से शुल्क			
से	तक	मोटरकार, टैक्सी, जीप पिक-अप वैन, स्टेशन वैगन, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तिपहिया	हल्के वाणिज्यिक यान	बस, ट्रक और माल अथवा यात्रियों से लदे अथवा बगैर लदे ट्रक ट्रेलर	अन्य यान जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है जैसे भारी निर्माण

1783 GI/2006

		स्कूटर अथवा ट्रेलर युक्त अथवा ट्रेलर रहित अन्य स्वचालित हल्के यान		[illegible] सहित [illegible]	[illegible] अथवा [illegible] और
सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख	30 जून 2007	17	28	55	[illegible]
1 जुलाई, 2007	30 जून, 2009	18	30	61	[illegible]
1 जुलाई, 2009 [illegible]	30 जून, 2011	20	33	67	146
[illegible] जुलाई, 2011	30 जून, 2013	22	37	73	151
1 जुलाई, 2013	2 मार्च, 2015	24	40	81	177

टिप्पणी

निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क से छूट दी जाती है अर्थात् -

(क) 'अति महत्वपूर्ण व्यक्ति' प्रतीक वाले अथवा शासकीय तौर पर निम्नलिखित [illegible] यान -

I. भारत के राष्ट्रपति,

II. भारत के उपराष्ट्रपति,

III. केंद्रीय [illegible]र राज्य मंत्री,

IV. लोक सभा अथवा राज्य सभा अथवा राज्य विधानमंडलों में प्रतिपक्ष के नेता जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो,

V. राज्य के राज्यपाल;

VI. संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल;

VII. केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष अथवा सभापति,

VIII. स्थानीय निर्वाचित निकायों के कार्यपालक पार्षद,

IX. भारत के सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

X. सी डी प्रतीक वाली कारों का प्रयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक,

XI. अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में राज्य विधानसभा/विधान परिषद के सदस्य,

XII. संसद सदस्य,

XIII. छत्तीसगढ़ की विधानसभा/विधान परिषद के सदस्य;

(ख)

I. [illegible]
II. पुलिस यान;
III. अग्नि शमन यान;
IV. एंबुलेंस;
V. अन्त्येष्टि यान
VI. डाक और तार विभाग के यान;
VII. केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान.

(ग) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र जैसे शौर्य पुरस्कार विजेताओं के यान यदि ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति ऐसे पुरस्कार [illegible] द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करें।

[illegible] स्थानों पर लगे बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी जो अंग्रेजी, हिंदी और उस क्षेत्र जिसमें चार लेन का खंड स्थित है, की भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। यांत्रिक यान का प्रत्येक चालक, स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति चार लेन के खंड को पार करने से पहले [illegible] के पश्चात [illegible] पर अपना यान रोकेगा और संग्रहण बूथ पर यान के संबंध में देय शुल्क का भुगतान करेगा। चार लेन के खंड को पार करने वाले यांत्रिक यान के संबंध में शुल्क वसूल करने के लिए मैसर्स डीएससी–वीआईसीओएन वेंचर्स प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत [illegible] के चालक, स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति के लिए रसीद तैयार करेगा।

[सं. आरडब्ल्यू/एन एच-[illegible]/1998/[illegible]]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2006

S.O. 889(E).— In exercise of the powers conferred by sections 7 and 8 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby notifies that there shall be levied, collected and retained fees on mechanical vehicles for the use of the Four Lane Raipur-Durg Section between km 281.000 to km 307.600 of NH-6 in the State of Chhattisgarh at the rates specified in Schedule hereunder and having regard to the Concession Agreement dated the 8th May 2003 entered into with M/s DSC-VICON Ventures Pvt. Ltd. New Delhi having its registered office at C-66, South Extension, Part -II, New Delhi- 110049, to [illegible] operate and transfer the Four Lane Raipur Durg Section of NH-6, and for the services rendered by it, hereby authorizes the said M/s DSC-VICON Ventures Pvt. Ltd. New Delhi or its legal representative to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule from the date of publication of the notification in the Official Gazette and until the 2nd [illegible]

15

SCHEDULE

Rates to be recovered per trip from users of the Four-Lane Raipur- Durg Section between km 281.000 to km 307.600 of National Highway No [illegible] at either of the two toll plazas

(All amounts in Rupees)

Period		Fee from each type of vehicle			
From	To	Motor Car Taxi, Jeep, Pick-up Van, Station wagon, Tempo, Auto rickshaws, three wheeler scooters, or other Auto driven light vehicles with or without trailer	Light Commercial vehicles	Bus truck and other heavy vehicles including truck trailer [illegible] laden with goods or passengers or unladen	Other mechanically propelled vehicles not mentioned above such as heavy construction machinery and earth moving equipments
Date of publication of the notification in the Official Gazette	30th June-2007	17	28	55	121
01st July 2007	30th June 2009	18	3[illegible]	61	1[illegible]3
01st July 2009	30th June 2011	20	33	67	146
01st July 2011	30th June 2013	22	37	73	161
01st July 2013	2nd March 2015	24	40	[illegible]	177

Note (?)

Following types of vehicles are exempted from the fee specified in the schedule, namely:-

(A) The Vehicles having 'VIP' symbols or officially belonging to -

(i) the President of India ;
(ii) the Vice- President of India ;
(iii) the Central and State Minister ;
(iv) the Leaders of Opposition of Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister ;
(v) the Governors of State ;
(vi) the Lieutenant Governors of Union Territories ;
(vii) the Speakers or Chairman of Central and State Legislatures ;
(viii) the Executive Councilors of local elected bodies ;

(ix) the Foreign dignitaries on State visit to India ;
(x) the Foreign Diplomats Stationed in India using car with CD symbols ;
(xi) the Members of State Legislative Assembly/ Council for their constituency ;
(xii) a Member of Parliament ;
(xiii) the Members of State Legislative Assembly/ Legislative Council of Chhattisgarh.

(B)

(i) Defence Vehicles ;
(ii) Police Vehicles ;
(iii) Fire Fighting Vehicles ;
(iv) [illegible] ;
(v) Funeral Vanes ;
(vi) Post and telegraph Department Vehicles ;
(vii) Central and State Government Vehicles on Duty ;

(C) Vehicles belonging to Winner of Gallantry awards such as Paramvir Chakra, Ashok Chakra, Mahavir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra, Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the competent authority for such award.

7. [illegible] above mentioned rates shall be displayed on a Board erected at conspicuous places in the vicinity of the Toll Plaza, being legibly written in English, Hindi and the regional language of the area in which the four Lane Section is situated. Every driver, owner or person-in-charge of the mechanical vehicles shall, before crossing the Four Lane Section or after having crossed it, stop his vehicle at the cross bar and pay the fee leviable in respect of the vehicles at the fee collection booth. The Person authorized by M/s DSC-VICON Ventures Pvt. Ltd., New Delhi to collect fee in respect of any mechanical vehicle crossing the Four Lane Section shall, in return, prepare receipt to the driver, owner or person in charge of the mechanical vehicle.

[No. RW/NH-[illegible]]
PRABHAKAR, Dy. Secy.

1783 GI/06-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054